न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

अपील/टीए/483/2005/नागौर

1– सेवाराम पुत्र मोडीया मृतक जरिये वारिसानः–
1/1. जग्गाराम गोदपुत्र सेवाराम जाति मेघवाल निवासी मौलासर तहसील डीडवाना जिला डीडवाना कुचामन।

------ अपीलांट

बनाम

1– मोहनराम पुत्र बुधाराम मृतक जरिये वारिसानः–
1/1. गोगाराम पुत्र मोहनराम
1/2. इन्द्राराम पुत्र मोहनराम
1/3. मांगीलाल पुत्र मोहनराम
1/4. चैनाराम पुत्र मोहनराम, समस्त जाति मेघवाल, निवासी मौलासर, तहसील डीडवाना जिला डीडवाना कुचामन।
1/5. भागौती पुत्री मोहनराम पत्नी तुलसीराम, जाति मेघवाल निवासी अलखपुरा डीडवाना जिला डीडवाना कुचामन।
1/6. बुल्ली पुत्री मोहनराम, जाति मेघवाल निवासी ग्राम धनकौली तहसील डीडवाना जिला डीडवाना कुचामन।
2– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, पीसांगन जिला अजमेर।

------ रेस्पोडेन्ट्स

खण्ड पीठ
श्री राजेश कुमार दड़िया, सदस्य
श्री गौरव बजाड़, सदस्य

उपस्थित
(1) श्री योगेन्द्र सिंह, अभिभाषक अपीलांट।
(2) श्री अशोक अग्रवाल, अभिभाषक रेस्पो0

निर्णय

दिनांक :– 14.05.2025

यह अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के अन्तर्गत विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर की अपील

संख्या 82/2004 में पारित निर्णय दिनांक 18–01–2005 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2– संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी सेवाराम की ओर से प्रतिवादी मोहनराम के विरूद्ध एक राजस्व वाद घोषणा, खातेदार एवं रिकॉर्ड दुरूस्ती का विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना के समक्ष इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि वादपत्र के मद सं0 13 में वर्णित खसरा नंबरान का राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती कर अमल दरामद किया जावे। वादपत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तलब किया। जिन्होंने उपस्थित होकर जवाबदावा प्रस्तुत कर वादी का वाद मय खर्चा खारिज फरमाने का निवेदन किया। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकियात कायम कर उनका विस्तृत विवेचन करते हुए अपने निर्णय दिनांक 07–06–2004 से वादी का वाद डिक्री कर दिया। इस निर्णय व डिक्री के विरूद्ध अपीलांट मोहनराम की ओर से विद्वान अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की गई। जिसमें विद्वान अपीलीय न्यायालय द्वारा उपस्थित अधिवक्तागण की बहस सुनकर अपने निर्णय दिनांक 18–01–2005 से अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07–06–2004 को निरस्त करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया गया। इसी आदेश दिनांक 18–01–2005 से व्यथित होकर अपीलांट की ओर से यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

3– उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की अपील पर बहस सुनी गयी एवं उस पर मनन किया गया।

4– अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने बहस में अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये तर्क दिये कि विद्वान अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश न्याय, नियम एवं रिकॉर्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय हैं। अपीलीय न्यायालय ने सहायक कलक्टर, डीडवाना के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07–06–2004 को उलट कर वाद पुनः निर्णय किये जाने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित अपनी अधिकारिता का दुरूपयोग किया है। परीक्षण न्यायालय के समक्ष दोनों पक्षों ने अपनी शहादत प्रस्तुत कर दी थी एवं दोनों ही पक्षकारान परीक्षण न्यायालय के

समक्ष अपनी शहादत प्रस्तुत करना नहीं चाह रहे थे। प्रतिवादी/रेस्पो0 सं0 1 द्वारा भी अपीलीय न्यायालय के समक्ष भी अपनी मीमों अपील में कोई ऐसा कथन नहीं किया कि उसको परीक्षण न्यायालय द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया हो। इतना होते हुये भी अपीलीय न्यायालय द्वारा बिना किसी कारण के दोनों पक्षों को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर देकर वाद पुनः गुणावगुण पर निर्णय हेतु लौटाना उनके लिये उचित नहीं था। सहायक कलक्टर, डीडवाना के निर्णय में बिना दोष निकाले एवं वाद में लिप्त बिन्दुओं पर अपना कोई निर्णय नहीं देते हुये वाद को पुनः निर्णय हेतु लौटाये जाने का अपीलीय न्यायालय को अधिकार नहीं था। आदेश 41 नियम 24 व्यवहार प्रक्रिया संहिता को ध्यान में रखते हुये ही अपीलीय न्यायालय को प्रकरण को रिमाण्ड नहीं करते हुए अपना निर्णय पारित करना चाहिये था। जब दोनों पक्षकारान ने अपनी समुचित साक्ष्य प्रस्तुत कर दी एवं पत्रावली पर पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध है। विचारण न्यायालय को प्रकरण में स्वयं को ही अंतिम रूप से निर्णय करना चाहिये था।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 18–01–2005 को निरस्त किया जाकर सहायक कलक्टर, डीडवाना के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07–06–2004 की पुष्टि की जावे।

5– विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी द्वारा अपनी बहस में रेस्पो0 के तर्कों का विरोध करते हुए तर्क दिये कि द्वितीय अपीलीय न्यायालय द्वारा अपने आक्षेपित आदेश से पैरा नं0 4 में विवेचन करते हुए प्रकरण प्रतिप्रेषित किया हुआ है। प्रकरण पर समस्त तथ्य नहीं है। विद्वान अपीलीय न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में यहीं कहा गया है कि रिकॉर्ड में कमी की पूर्ति किससे की जायेगी। आस–पास के नंबरों से ही प्रकरण में कमी पूर्ति किस नंबर से होगी इसकी जाँचकर ही प्रकरण का निस्तारण हो सकता है। इसलिए अपीलीय न्यायालय द्वारा प्रकरण को सही प्रतिप्रेषित किया गया है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

6– हमने विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। आलौच्य आदेशों, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन एवं परिशीलन किया गया।

7– पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि वादी सेवाराम की ओर से प्रतिवादी मोहनराम के विरूद्ध एक राजस्व वाद घोषणा, खातेदार एवं रिकॉर्ड दुरूस्ती का विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना के समक्ष प्रस्तुत किया। जिसमें विचारण न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 07–06–2004 से वादी का वाद इस आधार पर डिक्री कर दिया कि वर्तमान खसरा नं0 382/604 वादी का पुश्तैनी है। जिसमें 8 बीघा 2 बिस्वा की खातेदारी वादी प्राप्त करने का हकदार है। अन्य खसरा नंबरान जो 369 गै0मु0 रास्ता दर्ज है। इस खसरा में पूर्व खसरा नंबर 306 की 15 बिस्वा भूमि दर्ज हुयी है। इसकी खातेदारी वादी प्राप्त करना चाह रहा है। वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य की वर्तमान में खसरा नं0 382/604 में पक्की सड़क बन चुकी है। अब उक्त खसरा नं0 369 रास्ते का कोई अर्थ नहीं है। वह मौके पर चालू नहीं है परन्तु गै0मु0 रास्ता की भूमि धारा 16 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रतिबंधित भूमि है। जिसकी खातेदारी नहीं दी जा सकती है। अतः यह अनुतोष वादी को नहीं दिया जा सकता। उपरोक्त विवेचनानुसार तनकी सं0 1 आंशिक रूप से बहक वादी बरखिलाफ प्रतिवादी निर्णित की गई है तथा दावा वादी डिक्री किया जाकर सरहद मौजा मौलासर, तहसील डीडवाना के आराजी खसरा नं0 382 रकबा 14.08 बीघा, खसरा नं0 347 रकबा 15.15 बीघा, खसरा नं0 382/604 में से 8.02 बीघा का वादी सेवाराम पुत्र मोडूराम जाति बलाई को खातेदार काश्तकार घोषित किया गया है।

8– उक्त इसी निर्णय व डिक्री के विरूद्ध अपीलांट मोहनराम की ओर से विद्वान अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की गई। जिसमें विद्वान अपीलीय न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 18–01–2005 से अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07–06–2004 को निरस्त करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस आधार पर प्रतिप्रेषित किया गया है कि रिकॉर्ड में रकबा कम ज्यादा होता है तो इसकी जानकारी होना आवश्यक है कि किस खसरा का रकबा कम हुआ है एवं किस खसरा का रकबा ज्यादा हुआ है। रिकॉर्ड में अगर मौकेनुसार रकबे का इन्द्राज किया जाता है तो किसी अन्य नंबर से कम करना आवश्यक है। अन्यथा राजस्व ग्राम के कुल रकबे में भी

प्रभाव पड़ेगा। उक्त समस्त तथ्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। आस–पास के अन्य खसरान का नाप करने के बाद ही उक्त तथ्य स्पष्ट हो सकते है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खसरा नं0 382/604 में से 8.02 बीघा रकबा कम कर रेस्पो0 के खाते में दर्ज करने का अनुचित आदेश दिया है। खसरा नं0 382/604 पर रेस्पो0 का कब्जा ही नहीं है तो कब्जे के अभाव में घोषणा खातेदारी का वाद डिक्री नहीं किया जा सकता। अपीलांट के खाते से अधिकतम 5 बीघा रकबा कम किया जा सकता है। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय मौके एवं रिकॉर्ड के विपरीत होने से बहाल रखे जाने योग्य नहीं है। विद्वान अपीलीय न्यायालय की उपरोक्त व्याख्या उचित होने से अपीलांट की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

9– अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार अपीलांट की अपील न्यायहित में गुणावगुण पर खारिज की जाती है। विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18–01–2005 को यथावत् रखा जाता है।

10– पत्रावली फैसल शुमार हो, निर्णय की सूचना कम्प्यूटर के माध्यम से प्रदान की जाकर पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर होकर नम्बर से कम हो।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गौरव बजाड़)
सदस्य

(राजेश कुमार दड़िया)
सदस्य